न्यायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 419 /2023 उनवान नारायण सिंह बनाम आशा कंवर

नारायण सिंह पुत्र अजीत सिंह जाति बारेठ उम्र करीबन 40 साल निवासी ग्राम माण्डियावड खुर्द तहसील अरांई जिला अजमेर राज. —वादी

बनाम

आशा कंवर पत्नी भंवर सिंह जाति बारेठ निवासी ग्राम बकरवालिया तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज. व अन्य। — प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 31.05.2024

उपस्थितः— वकील उभयपक्ष दौराने बहस

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर द्वारा पेश किया गया। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि वादी की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92अ राज.का.अधि. 1955 के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया हुआ है जिसके अन्तर्गत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। यह है कि प्रार्थी की राजस्व रिकार्ड में सहखातेदारी की आराजी ग्राम माडियावाडखुर्द पटवार हल्का पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 43 के खसरा संख्या 261/22 तथा खसरा संख्या 89 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5744 हैक्टेयर, खाता संख्या 44 के खसरा संख्या 14, 141, 184, 218, 224, 25, 226, 260/227, 36, 57, 62, 69, 91, 96 कुल किता 14 कुल रकबा 25.0144 हैक्टैयर, खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 246/90 कुल किता 01 कुल रकबा 1.1326 हैक्टेयर, खाता संख्या 46 के खसरा संख्या 95 रकबा 0.0243 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त आराजी में अप्रार्थीगण का औपचारिक रूप से अधिकार अभिलेख में नाम इन्द्राज है चुकि उपरोक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के परिवार की संयुक्त सम्पति है जिसमें पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के हिस्से में आती है तथा अप्रार्थीगण तथा अन्य परिवारजनों का नाम औपचारिक रूप से दर्ज है। अप्रार्थीगण मौके पर आकर प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो जातें हैं तथा प्रार्थी को मौके पर से बेदखल करने पर उतारू हैं तथा वादअधीन भूमि का अन्तरण, बेचान कर भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगणों को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण एवं उनके नौकर चाकर, परिवारजन प्रार्थी को मौके पर से बेदखल नहीं करें, अतिचार अतिक्रमण नहीं करें, वादअधीन आराजी का बेचान या अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करें तथा मौके एंव राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखें।
2. प्रकरण को दिनांक 03.11.2020 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 419/2020 पर दर्ज कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 08.04.2022 को वकील श्री महावीर मालाकार ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे उनके द्वारा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

22.07.2022 को नोट प्रेस कर दिया गया। दिनांक 22.07.2022 को प्रार्थी संख्या 04 की ओर से जवाब पेश किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 04 ने निवेदन किया कि उक्त वादअधीन आराजी अविभाजित है तथा अविभाजित आराजी पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा रहता है, अप्रार्थी अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादअधीन आराजी पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है, जवाबकर्ता ने कभी भी वादअधीन भूमि के बेचान की धमकी प्रार्थी को नहीं दी है, प्रार्थी को अप्रार्थी जवाबकर्ता की सह खातेदारी की भूमि के 4/45 वे हिस्से की भूमि बाबत किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्ति का कोई विधि सम्मत अधिकार नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र जवाबकर्ता की भूमि को हडप करने के उद्देश्य से पेश किया गया है जो कि खारिज करने योग्य है। दिनांक 09.02.2024 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. के तहत पेश किया जिसपर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से वकील श्री विजय पोषक उपस्थित हुये। दिनांक 03.05.2024 तक भी अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 5/1 बावजूद तलबी के अनुपस्थित रहे इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 06, 07 औपचारिक अप्रार्थी होने से दिनांक 17.05.2024 को उनके उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 17.05.2024 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. 1955 पर बहस सुनी गई। जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों कों दोहराया गया।

3. वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथनो के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः—
   1.माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय के कुछ प्रमुख निर्णय कुल पृष्ठ 108

4. वकील अप्रार्थी द्वारा अपने कथनो के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः—
   1. सी0पी0सी0 1908 आदेश संख्या 39 पेज संख्या 153, 154
   2. आर0आर0डी0 14.11.2008 पेज संख्या 762—765 करमजीत कौर बनाम गुरदीप सिंह व अन्य
   3. डी0एन0जे0 2019 पेज संख्या 68, 69 टी. रामलिंगेश्वरा राव बनाम एन.माधवा राव व अन्य
   4. आर0आर0टी0 2022 पेज संख्या 807—810 तम्मू बनाम कल्याण
   5. आर0आर0टी0 2022 पेज संख्या 108—111 आशिया बनाम इसरेल
   6. आर0आर0टी0 2022—23 पेज संख्या 112 मेहताब बनाम रज्जो
   7. आर0आर0डी0 1998 पेज संख्या 79—80 श्रीमति किन्नो बनाम मोहर सिंह व अन्य

5. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपबब्ध दस्तावेज के अवलोकन से ताईद है कि वादअधीन आराजी प्रार्थी का एकल खातेदारी नहीं होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 के अनुसार बिना विधिक विभाजन के संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार होता है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का मूल वाद क्रमांक 418/2020 उनवान नारायण सिंह बनाम आशा कंवर धारा 188 राज0का0अधि0 के तहत पेश किया गया है तथा उसी की रूह में दिनांक 03.11.2020 को हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। लेकिन अप्रार्थीगण उक्त वादअधीन आराजी में सहखातेदार है जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 का0 अधि0 1955 खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 31/5/24............ को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हमारे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)